भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 777
04/02/2026 को उत्तर देने के लिए

इंस्पायर अध्येतावृत्ति

†777. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जून 2025 में अध्येताओं के लिए घोषित की गई लंबित इंस्पायर अध्येतावृत्ति वृत्तिका जारी की है और यदि हां, तो विशिष्ट महीनों, जिनके लिए वृत्तिका जारी की गई है, सहित संवितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वृत्तिका के संवितरण में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में अध्येतावृत्ति का हिस्सा रहे अध्येताओं की संख्या राज्य-वार कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में वृत्तिका का समय पर और नियमित संवितरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इंस्पायर योजना के अंतर्गत डॉक्टरल डिग्री कार्यक्रमों के लिए इंस्पायर अध्येतावृत्ति योजना तथा पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान के लिए इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, दिनांक 31.03.2026 तक के संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, 3,143 इंस्पायर अध्येता और 458 इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति अनुदान, उनके संबंधित मेजबान संस्थानों को हाइब्रिड टीएसए मॉडल-1ए के माध्यम से जारी किए गए हैं।

(ख) निधि प्रवाह तंत्र को 16 जनवरी, 2025 से सीएनए मॉडल-2 से हाइब्रिड टीएसए मॉडल-1ए में परिवर्तित किया गया। नए तंत्र में पारगमन के लिए संबंधित मेजबान संस्थानों द्वारा हाइब्रिड टीएसए मॉडल-1ए के अंतर्गत ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक था, जिसमें काफी समय लगा। इसके अतिरिक्त, अध्येतावृत्ति अनुदानों की निर्मुक्ति, संस्थानों की सफल ऑनबोर्डिंग तथा संबंधित संस्थानों/इंस्पायर अध्येताओं/इंस्पायर संकाय अध्येताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों अर्थात् उपयोगिता प्रमाणपत्र, व्यय विवरण और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (रिपोर्टें) की प्रस्तुति पर निर्भर है। ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूर्ण होने और आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के उपरांत ही अध्येतावृत्ति अनुदान जारी किए गए।

(ग) वर्तमान में इंस्पायर और इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति का हिस्सा रहे अध्येताओं की राज्यवार संख्या निम्नवत है:

"राज्य/संघ राज्य क्षेत्र"	**इंस्पायर अध्येताओं की संख्या**	**इंस्पायर संकाय अध्येताओं की संख्या**
आंध्र प्रदेश	56	11
अरूणाचल प्रदेश	9	0
असम	141	13
बिहार	22	3
चंडीगढ़	71	1
छत्तीसगढ़	43	2
दिल्ली	212	34
गोवा	41	6
गुजरात	99	9
हरियाणा	36	7
हिमाचल प्रदेश	45	7
जम्मू और कश्मीर	93	13
झारखंड	23	9
कर्नाटक	208	72
केरल	172	22
मध्य प्रदेश	132	11
महाराष्ट्र	169	33
मणिपुर	15	3
मेघालय	13	2
मिज़ोरम	18	0
नागालैंड	4	0
ओड़िशा	125	18
पुदुचेरी	6	1

“राज्य/संघ राज्य क्षेत्र”	इंस्पायर अध्येताओं की संख्या	इंस्पायर संकाय अध्येताओं की संख्या
पंजाब	119	18
राजस्थान	64	17
सिक्किम	10	1
तमिलनाडु	247	23
तेलंगाना	226	27
त्रिपुरा	15	0
उत्तर प्रदेश	249	32
उत्तराखंड	79	7
पश्चिम बंगाल	381	56
कुल	3143	458

(घ) सरकार ने भविष्य में वृत्तिका का समय पर और नियमित संवितरण सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मेजबान संस्थानों द्वारा सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा हेतु हाइब्रिड टीएसए मॉडल-1ए के अंतर्गत ऑनबोर्डिंग की पूरी प्रक्रिया इंस्पायर वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। अध्येतावृत्ति योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, मेजबान संस्थानों, इंस्पायर अध्येताओं और इंस्पायर संकाय अध्येताओं को आवश्यक दस्तावेज़, जैसे उपयोग प्रमाण-पत्र, व्यय विवरण और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (रिपोर्टें), अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इन उपायों का उद्देश्य अध्येतावृत्ति वृत्तिका के समय पर और नियमित संवितरण को सक्षम बनाना और सुनिश्चित करना है।

*****